Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 199–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018 (AGRAHAYANA 7, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

(नियामक विंग)

अधिसूचना

दिनांक 28 नवम्बर, 2018

संख्या 21/2/2014–1टी.(II).– मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग (नियामक विंग), अधिसूचना संख्या का०आ० 35/के०अ०59/1988/धा०138/2018, दिनांक 29 जून, 2018 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59);

(ख) "समिति" से अभिप्राय है, निधि के उचित प्रबन्धन के लिए नियमों के अधीन गठित समिति;

(ग) "प्रशमन शुल्क" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 200 के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संगृहित शुल्क;

(घ) "प्रवर्तन अभिकरण" से अभिप्राय है, हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993, के नियम 226 के अधीन चालान की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत परिवहन, पुलिस तथा अन्य विभागों के अधिकारी;

(ङ) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्राय है, कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि;

(च) "निधि" से अभिप्राय है, हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि;

(छ) "योजना" से अभिप्राय है, निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यान्वित योजना;

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(झ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

निधि का बजट शीर्ष और इसके उद्देश्य।

3. (1) राज्य में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के वित्त विभाग द्वारा अन्तिम वित्तीय वर्ष में निधियों के उपयोग के दृष्टीगत पूर्व वर्ष के दौरान संगृहित की गई प्रशमन शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर बजट का उपबन्ध किया जाएगा।

(2) निधि का खर्च शीर्ष अर्थात् 2041–वाहन कर (योजना) लघु शीर्ष 102 मोटरयान निरीक्षण, उप–शीर्ष 98–सड़क सुरक्षा जागरूकता तथा कम्प्यूटरीकरण विनियामक विंग, वस्तु शीर्ष 34–अन्य प्रभार (सड़क सुरक्षा) से पूरा किया जाएगा।

(3) निधि निम्नलिखित के उपभोग में लाई जाएगी–अर्थात्:–

(क) सड़क सुरक्षा और सम्बद्ध क्रियाकलापों से सम्बन्धित योजनाओं, परियोजनाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वित करने हेतु ;

(ख) सड़कों पर वाहनों के सुरक्षित चालन हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा सडक़ उपभोक्ताओं की गति सुनिश्चित करने हेतु;

(ग) दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की पहचान करने और सुधारात्मक कदम उठाने हेतु;

(घ) यातायात नियमों का ज्ञान प्रदान करने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु;

(ङ) प्रवर्तन और सड़क दुर्घटनाओं के नियन्त्रण के लिए उपकरण तथा वाहन उपलब्ध कराने हेतु;

(च) चालक अनुज्ञप्ति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा सुधार करने हेतु;

(छ) मोटर वाहनों की प्रभावी उपयुक्तता की प्रणाली को सुदृढ़ करने, सुधार करके तथा प्रमाणीकरण करने हेतु;

(ज) दुर्घटना के समय तथा दुर्घटना के पश्चात् देख–रेख उपलब्ध करवाने हेतु;

(झ) सड़क सुरक्षा पर अध्ययन और अन्वेषण करने हेतु;

(ञ) सड़क सुरक्षा आंकड़ें एकत्रित करने और उनके विश्लेषण करने हेतु।

निधि का लेखा तथा वर्गीकरण।

4. (1) लघु शीर्ष 101 (मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्राप्तियां), मुख्य शीर्ष 0041 (वाहन कर) के अधीन अलग उप–शीर्ष (मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन चालान के कारण प्रशमन शुल्क) प्रशमन शुल्क के रूप में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा धनराशि के संग्रहण के लिए सृजित की जाएगी।

(2) निधि में आबंटित राशि शीर्ष 2041– वाहन कर (योजना), लघु शीर्ष 102– मोटर वाहन निरीक्षण, उप–शीर्ष 98–सड़क सुरक्षा जागरूकता और कम्प्यूटरीकरण विनियामक विंग, वस्तु शीर्ष 34–अन्य प्रभार के अधीन परिवहन विभाग की मांग संख्या–34 के अधीन दर्शाई जाएगी।

निधि का अन्तरण।

5. निधि में से धनराशि समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार सम्बद्ध विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित से संवितरक एवं प्रत्याहरण अधिकारी को अन्तरित की जाएगी। निष्पादन विभाग, नियमों के अनुसार धनराशि खर्च करेगा और सदस्य सचिव को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

निधि के स्त्रोत।

6. निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगाः–

(i) पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रशमन शुल्क के रूप में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा संगृहित राशि का पचास प्रतिशत;

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा कोई वित्तीय अंशदान, अनुदान, दान इत्यादि।

समिति।

7. (1) राज्य सरकार निधि के प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करेगीः–

(i)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग	सदस्य
(iii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(iv)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य

(v)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग	सदस्य
(vi)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
(vii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	सदस्य
(viii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(ix)	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा	सदस्य
(x)	परिवहन आयुक्त, हरियाणा	सदस्य–सचिव

(2) समिति के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(3) समिति की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

समिति की शक्तियां।

8. (1) समिति उपलब्ध बजट में से नियम 3 में उल्लेखित किसी भी उद्देश्य के लिए असीमित राशि का अनुमोदन करेगी।

(2) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग प्रत्येक मामले में समिति द्वारा अनुमोदित अधिकतम दस लाख रुपयें की राशि को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगा।

(3) समिति का सदस्य सचिव परिवहन आयुक्त कार्यालय में सड़क सुरक्षा शाखा हेतु प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये तक के (आवर्ती या गैर आवर्ती) व्यय को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत होगा।

समिति के कर्त्तव्य।

9. (1) समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी।

(2) समिति स्वीकृत की गई योजनाओं की कार्यवाही, जैसे कि भौतिक और वित्तीय, प्रगति की समीक्षा करेगी।

(3) समिति नियमों के अनुसार निधि के लेखों का रखरखाव सुनिश्चित करेगी।

(4) प्रस्तावों और कार्यवाही योजना को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

वित्त पोषित की जाने वाली योजनाएं।

10. निम्नलिखित से सम्बन्धित योजनाए निधि द्वारा वित्त पोषित होंगी:–

(क) सड़क सुरक्षा उपाय:–

(i) दुर्घटनाओं के मामले में जनसाधारण की सुरक्षा हेतु, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य/नियामक, सचेतक तथा सूचनात्मक सड़क संकेत बोर्ड, विभिन्न यातायात संकेत इत्यादि उन स्थानों पर स्थापित करना, जहां अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख–रखाव किया जाना सम्भव न हो;

(ii) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को संकलित करना और उनका विश्लेषण करना तथा सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु "सड़क दुर्घटना डाटा बेस प्रबन्धन प्रणाली" स्थापित करना;

(iii) सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात् दोष निवारण करना;

(iv) दुर्घटना सम्भावित स्थानों की पहचान करना;

(v) दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपयोग मे लाई जा रही एम्बूलैंस, अन्य उपसाधनों को खरीदना तथा रख–रखाव करना, चालक, पैरा–चिकित्सीय अमले का वेतन तथा एम्बूलैसों के ईंधन इत्यादि पर व्यय करना;

(vi) सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना;

(vii) क्रेनों तथा भारी मशीनों सहित यातायात प्रबन्धन और सड़क सुरक्षा हेतु उपकरणों को खरीदना तथा उनका रख–रखाव करना;

(viii) चालक अनुज्ञप्ति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु चालक प्रशिक्षण स्कूलों तथा चालक परीक्षा ट्रैकों की स्थापना करना;

(ix) वाहनों की उपयुक्तता की जाँच करने और उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन केन्द्रों को स्थापित करना;

(x) वाहनों की जांच करने हेतु गतिशील जांच संयंत्र उपलब्ध कराना;

(xi) चैक पोस्ट, जब्त वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्रों की और वजनी पुलों की स्थापना करना;

(xii) सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई अन्य कार्य करना जिन्हें समिति उपयुक्त और लाभकारी समझे।

(ख) यातायात शिक्षाः–

(i) यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना;

(ii) जनसाधारण में यातायात नियमों का विस्तृत प्रचार करना;

(iii) यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा बारे में जागरूकता का ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों एवं जनसाधारण के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना;

(iv) यातायात प्रबन्धन और सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्रचार सामग्री तैयार करना;

(v) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपकरणों की खरीद करना और रख–रखाव करना;

(vi) ऑडियो–वीडियो, उपकरणों, कम्प्यूटरों, और अन्य उपसाधनों से युक्त यातायात प्रचार वैन खरीदना और सामान्य रूप से जनसाधारण को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना;

(vii) सड़क सुरक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(viii) यातायात सुरक्षा से संबंधित संगोष्ठी, कार्यशालाओं, बैठकों, रैलियों, प्रतियोगिताएं और अन्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(ix) पुलिस, परिवहन तथा स्थानीय निकाय के विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यातायात से सम्बन्धित प्रशिक्षण का आयोजन करना;

(x) सड़क दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने के लिए यातायात प्रबन्धन को सुधारने हेतु अध्ययन करवाना।

(ग) यातायात प्रवर्तनः–

(i) आधुनिक यातायात प्रवर्तन उपकरणों को खरीदना, संचालन करना और रख–रखाव करना;

(ii) वाहनों को खरीदना और रख–रखाव करना।

सदस्य–सचिव के कर्तव्य।

11. (1) समिति का सदस्य–सचिव, परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जिला सड़क सुरक्षा समिति इत्यादि से प्राप्त या स्वप्रेरणा से तैयार की गई स्कीमों का सम्यक् परीक्षण करने के बाद समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

(2) वह समिति से उसके अनुमोदन उपरान्त योजनाओं के वित्त पोषण के लिए औपचारिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करेगा।

(3) वह योजनाओं के सफल निष्पादन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों में समन्वय करेगा।

(4) समय–समय पर अपेक्षित निधि में प्राप्तियों की तथा खर्च की विस्तृत रिपार्टे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) वह नियमों के अनुसार निधि के खाते का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

योजनाओं के निष्पादन का उत्तरदायित्व।

12. (1) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु और निधि से वित्तपोषित आस्तियों, उपकरणों इत्यादि के विनिर्माण, रख–रखाव तथा मरम्मत की नियमित निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। वह योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का पर्यवेक्षण, निगरानी तथा पुनर्विलोकन करेगा। सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं का समापन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सुसंगत नियमों तथा समय–समय पर जारी सरकारी अनुदेशो के अधीन अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में खरीद मामलों में सुनिश्चित करेगा की अनुपालना हो गई है।

निधि का अनुरक्षण और लेखा–परीक्षा।

13. (1) सचिव परिवहन द्वारा यथा प्राधिकृत परिवहन आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी या ऐसा अन्य वित्त अधिकारी वित्तीय नियमों, अनुदेशों और खजाना नियमों के उपबन्धों के अनुसार निधि से उपगत व्यय के लेखों का रख–रखाव करेगा। लेखों का महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा के अभिलेखों से पुनर्मिलान किया जाएगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व, पुनर्मिलान समायोजनों से सम्बन्धित आदेश समकालिक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) वित्तीय वर्ष के अंत मे निधि में छोड़ी गई अनुपयोजित धनराशि निधि में ही रहेगी। निधि में ऐसी अतिशेष/अनुपयोजित राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में लाई जाएगी।

(3) लेखों की लेखा–परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा की जाएगी।

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 211-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 4, 2023 (AGRAHAYANA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2023

संख्या 21/2/2014–1टी(ा).– मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग (नियामक विंग), अधिसूचना संख्या 21/2/2014–1टी(ा), दिनांक 18 अक्तूबर, 2023, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 में, नियम 8 में, उप–नियम (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(2) प्रशासनिक सचिव, परिवहन विभाग प्रत्येक मामले में अधिकतम पचास लाख रूपए के अध्यधीन नियमों में वर्णित किसी भी प्रयोजन (आवर्ती या गैर–आवर्ती) के लिए व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत होगा।

(3) सदस्य सचिव प्रत्येक मामले में अधिकतम दस लाख रूपये के अध्यधीन नियमों में वर्णित किसी भी प्रयोजन (आवर्ती या गैर–आवर्ती) के लिए व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत होगा।''।

नवदीप सिंह विर्क,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।